द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक उपभोक्ता हर महीने प्रत्येक वयस्क खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की 25 कि० ग्रा० मात्रा और बच्चे के मामले में 12.5 कि० ग्राम मात्रा के लिए हकदार है। हालांकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को कुल आवंटन दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित मानदण्ड के आधार पर नहीं किया जाता, तथापि आवंटित मात्रा, खाद्यान्नों की बाजार में उपलब्ध मात्रा की अनुपूर्ति हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए उचित समझी जाती है। चीनी की 800 ग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति महीने दी जाती है और इसमें यह विचार नहीं किया जाता कि व्यक्ति बच्चा है या वयस्क है। दिल्ली प्रशासन ने अधिकारियों को ये निदेश दिए हैं कि वे झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों अथवा पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले उपभोक्ताओं को कम से कम 8 कि०ग्रा० गेहू प्रति व्यक्ति प्रति महीने उपलब्ध करायें। आवंटन करते समय दिल्ली सहित सभी राज्यों की वास्तविक आवश्यकताओं पर हमेशा विचार किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निगम मूल्य बाजार मूल्यों से कम होते हैं तथा केन्द्रीय सरकार उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राजसहायता के रूप में बहुत बड़ी राशि का भार वहन करती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाना

395. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आगामी वर्षों में और सक्षम व प्रभावी बनाने के लिए इसमें सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या सुधारात्मक कदम उठाने के बारे में निश्चय किया गया है तथा इन्हें कब तक प्रवृत्त किये जाने की संभावना है; और

(ग) इन सुधारात्मक कदमों के कार्यान्वयन के लिए कुल कितना धन व्यय किए जाने की योजना है और क्या इन सुधारात्मक कदमों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति करना भी शामिल है; यदि यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने का कार्य एक निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों आदि को इसके कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद् की बैठकों और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच अन्य बैठकों में विचार -विमर्श किया जाता है। सरकार ने ग्रामीण/भीतरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक इस प्रणाली की पहुंच में सुधार करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सम्पुष्ट करने हेतु कार्यवाही शुरु कर दी है। लगभग 1700 ब्लाकों को राज्य सरकारों के परामर्श से चुना गया है। ये ब्लाक विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों में शामिल किए गए हैं। इस दिशा में एक कदम के रूप में राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उचित दर की ज्यादा दूकानें खोलें, अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उचित दर की दूकानों के दरवाजे तक सुपुर्दगी करने की व्यवस्था करें और जाली यूनिटों कार्डों को समाप्त करे ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनी पहुंच में और कारगर बनाया जा सके। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की राज्य तथा केंद्रीय स्तरों पर नियमित रूप से परिवीक्षा की जाती है।

केंद्रीय सरकार के 1992-93 के बजट अनुमानों में खाद्यान्नों के वितरण

तथा गोदामों के निर्माण के लिए अतिरिक्त राज्य सहायता हेतु 250 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

396. [*Transferred to the 8th May*, 1992]

397. [*Transferred to the 8th May*, 1992]

Different Institutions for Standardisation

398. SHRI RAGHAVJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the reasons for having different institutions for standardisation such as Bureau of Indian Standards, Standardisation Testing, Quality Control centres;

(b) what efforts are proposed to be made to merge them together and strengthen the existing laboratories under Bureau of Indian Standards; and

(c) what will be the estimated savings after such possible merger?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Besides BIS, other organisations also formulate standards under various Acts|Regulations|Control Orders, etc.

(b) There is no proposal to merge these organisations.

(c) Question does not arise.

Performance of new Public Distribution System

399. MISS SAROJ KHAPARDE:
DR. JINENDRA KUMAR JAIN:
SARDAR JAGJIT SINGH AURORA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that even the revamped and expanded public distribution system (PDS) has not brought much relief to the needy for reasons of affordability, accessibility and stability of prices and supplies, according to expert studies as per the newsitem entitled "PDS fails to bring relief to poor" which appeared in the Times of India dated the 13th April, 1992; and

(b) if so, what specific remedial steps Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) A news item under this title appeared in the Hindustan Times (not Times of India) dated 13th April, 1992 This report presents a view point attributed to "Expert Studies", without disclosing the actual source. While it is true that the issue prices of PDS foodgrains had to be increased in order to partiality absorb the increased cost of procurement, the end retail prices under the PDS even after the increase were considerably lower than the open market prices of foodgrains. This is the reason why there was an increased demand from the States/UTs for wheat and rice to be distributed through the PDS. Under the Revamped PDS the State Governmnets have been requested, *inter alia* to identify locations for opening new fair price shops in the identified blocks; to increased accessibility and to ensure reach of sufficient allocations from out of their overall allocations. The programme is receiving good response from State Governments/UT Administration. It is also incorrect to say that a disproportionately large number of fair price shops are located in the urban areas. In fact about 75 per cent of the fair price shops are in the rural areas.

Inclusion of Goods and services under Consumer Protection Act

400. MISS SAROJ KHAPARDE:
SHRI SANTOSH BAGRODIA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whethe it is a fact that Government are considering a proposal to bring all goods and services including the Health